


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p> मैं प्रस्तुत रिमा वाया / उक्त आदि निम्न को राजस्थान न्यायपालिका आदि निम्न 2009 द्वारा प्रतिस्थापित रिमा वा चुन हूँ। मकीन आदि निम्न 2009 की धारा 12 के तहत प्राधान्य से संबंधित अपील को वे प्राधान्य प्राप्ति किसे ठीक है। उक्त आदि निम्न 2009 की धारा 12 के अंतर्गत रिमा वाया राजस्थान राज-पत्र विज्ञापन दिनांक 18/05/2017 द्वारा राजस्थान न्यायपालिका (चतुर्थ स्तरीय) आदि निम्न 2017 का प्रकाशन रिमा वाया / इस अंतर्गत में न्याय शासन विभाग राजस्थान सरकार के पत्रांक / प० 8 (ग) () निम्न / डी.एन. की / 17 / 21167-21200 अमुपु दिनांक 14/06/2017 द्वारा प्राधान्य से लम्बित अपील को संबंधित अपील आदिवादी को हस्तान्तरित रिमे जाने के अंतर्गत पहल रिमे वाये है। ऐसी दिवस में हस्तान्तरित अपील के अंतर्गत में न्यायालय की अपीलवादी प्राप्त नहीं है। अतः हस्तान्तरित को न्याय न्यायालय को हस्तान्तरित रिमा वाया उचित प्रतीत होता है। अतः हस्तान्तरित प्रकरण में कमीषनी को इसी न्याय पर न्याय रिमे जाने </p>	



21
 (तारा चन्द मीणा)
 जिला कलक्टर
 चित्तौड़गढ़
 07 SEP 2021

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
	<p>का आदेश दिया जाता है, एवं हस्तगत अपील को डीसीए उप निदेशक, उदयपुर को हस्तान्तरित किया जाये का आदेश दिया जाता है, कुल पचास बी का मुसन्ना रिपोर्ट को जावे। पचास बी डीसीए उप निदेशक उदयपुर को प्रेषित की जावे। तदनुसार अभिलेखों में अंकन किया जावे। उम्मायलम हजारा से पचास बी की राशियां निर्धारित कर देनी जाकर एड आवश्यक कमिश्नरी मुसन्ना अभिलेखों में प्रिजाया जावे। अर्थात् व्युत्पन्न उम्मायलम में सुमाया ठाय।</p> <div style="text-align: right;">  <p>२६ (तारा चन्द मीणा) जिला कलक्टर विपीडगाव 07 SEP 2021</p> </div>	